

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.4(45)नविवि/II/2017 (लूज)

जयपुर, दिनांक 13 FEB 2019

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.08.2018 एवं 05.10.2018 द्वारा श्री आलोक श्रीवास्तव, अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, जयपुर का नगर विकास न्यास आबू/जयपुर विकास प्राधिकरण में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(कन्हैयालाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू।
8. वरि. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. श्री आलोक श्रीवास्तव, अधिशाषी अभियंता।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-प्रथम